न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायपुर (छ.ग.)

//आदेश//

202412111000643 प्र.क.–अ/62 वर्ष 2024–2025

क्रमांक/ 469 /स्टेनो/अ.वि.अ./2024 रायपुर, दिनांक 30/12/2024

आवेदक **श्री कमलजीत कौर पिता श्री जोगेन्दर सिंह ई.डब्ल्यू.एस. 262 टाटीबंध निवासी टाटीबंध रायपुर के निजी भूमि खसरा नं. 436/2, 438/2 रकबा 2380 वर्गफीट में मकान निर्मित करनेत** हेतु 6 नग (1 नीम एवं 5 अन्य जाति) वृक्षों को काटने की अनुमति चाही गई है।

उपरोक्त आवेदन के संबंध में वन परिक्षेत्र अधिकारी एवं राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर उक्त 6 नग 1 नीम एवं 5 अन्य जाति वृक्ष को छ0ग0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 240, 241 के तहत निम्न शर्तो के अधीन काटने की अनुमति दी जाती **है:–**

1/ वृक्षों की कटाई वन मण्डलाधिकारी द्वारा नामजद अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष काटी जायेगी तथा आसपास की सुरक्षा का समुचित ध्यान रखा जायेगा।

2/ काटे जाने वाले वृक्षों का यदि कोई मुआवजा हो तो वृक्ष काटने के पूर्व संबंधित भूमि स्वामी को भुगतान विधिवत अनिवार्यतः कर दी जावे।

3/ काटे गये एक वृक्ष के बदले 10 वृक्ष (कम से कम 5 फीट की ऊंचाई वाले) जिस स्थान से वृक्ष काटी जावेगी, के नजदीक उपलब्ध उपयुक्त स्थान पर वृक्ष लगाया जावेगा यदि नजदीक में उपयुक्त स्थान नही मिलने पर वन विभाग द्वारा बतलाये गये स्थान पर लगाने की शर्त पर यह अनुमति दी जाती है। लगाये गये वृक्षों के रख रखाव एवं उनको जीवित रखने का दायित्व आवेदक विभाग का ही होगा। वृक्ष काटने का कार्य कण्डिका 3 के अनुसार वृक्षारोपण कार्यपूर्ण होने के पश्चात ही किया जावेगा।

4/ वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वन मंडल, रायपुर द्वारा काटे जाने वाले वृक्षों को जो शासन के स्वामित्व की है, के कलेवरो की नीलामी कराकर प्राप्त प्रतिफल की राशि का नियमानुसार शासकीय मद में जमा कराना सुनिश्चित करे।

5/ वनमंडलाधिकारी, वनमंडल रायपुर के पत्र क्रमांक/व.त.अ./रा./4868 रायपुर, दिनांक **23.12.2024** का अनिवार्यतः पालन किया जावे।

6/ उपरोक्त समस्त विभाग वृक्ष कटाई से संबंधित प्रचलित विधिक प्रावधान/नियम एवं शर्तों का पालन करने के लिये कटिबद्ध रहेंगे। कभी भी विधिक प्रावधान का उल्लंघन पाया जाता है यह आदेश शून्य माना जायेगा।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायपुर (छ0ग0)

पृ. क्रमांक 470 /स्टेनो/अ.वि.अ./2024 रायपुर, दिनांक 30/12/2024

प्रतिलिपिः–

1/ वनमंडलाधिकारी, वनमंडल रायपुर के पत्र क्रमांक/व.त.अ./रा./4868 रायपुर, दिनांक **23.12.2024** का अनिवार्यतः पालन किया जावे।

2/ राजस्व निरीक्षक रायपुर को सूचनार्थ।

3/ आवेदक **श्री कमलजीत कौर** पिता–श्री जोगेन्द्र सिंह निवासी–ई.डब्ल्यू.एस. 262 टाटीबंध निवासी–टाटीबंध को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

4/ तहसीलदार रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायपुर (छ0ग0)

आदेश की एक प्रति प्राप्त किया
30/12/2024